

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 46/2022

GCMS CASE NO-2022/46

1 इन्द्राज पुत्र श्री रामचन्द्र जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 09 सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़।

रेस्पोंडेंट

उपरिस्थिति:-

1. श्री राजवीर भादू अधिवक्ता अपीलांत
2. राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ रेस्पोंडेंट

--:निर्णय:-

दिनांक : 25-7-2024

अपील में सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ अन्तर्गत धारा 91 उपनिवेशन अधिनियम 1956 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। आदेश नायब तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 11.03.2022 को प्रकरण संख्या 25/2022 सरकार बनाम इन्द्राज में अपीलांत को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अर्थदण्ड कायम कर फसल कुर्क करके रकबा का कब्जा बहक सरकार लने का आदेश दिया गया। अपीलांत को रोही ढाढियावाली के ख.न. 76/2 वर्तमान 338/76 में 9.390 है0 भूमि पर फसल रबी 2078 में नाजायज काश्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने का नोटिस जारी किया गया।

नायब तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांत को अतिक्रमी माना जाकर मालगुजारी का 50 गुणा तावान, खडी फसल नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि बहक सरकार प्राप्त करने की आज्ञापारित की है।

गुणावगुण के आधार पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अदालत मातहत ने नैसर्गिक न्याय व निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं की है। फसलकुन्ता (Assesment) नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली तीनों आदेश एक साथ देकर गैर कानूनी आदेश पारित किया है। अपीलांत को पहले कभी बेदखल नहीं किया गया। ऐसे में उन्हें पाश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर भी भूल की है। तीनों दण्ड एक साथ कानूनन नहीं दिये जा सकते। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 4(16) कोलो/99 दिनांक 26.11.2004 राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में नियम 21 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.1996 से पूर्व लगातार 5 वर्षों से काबिज है तो उसे उस भूमि से बेदखल न कर भूमि पर काबिज रहने दिया जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अधिसूचना सं0 एफ 4 (16) कोलो/99 जी.एस0आर 89 दिनांक 11.01.2008 द्वारा प्रावधान किया कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)



967



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 1.1.2000 से 5 वर्षों तक अनाधिकृत रूप से काबिज है तो उसे बेदखल ना किया जावे तथा इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि दिनांक 1.1.2000 से 7 वर्षों में से किन्ही 5 वर्षों तक भी कब्जा है तो उस व्यक्ति को डीएलसी दरों पर आवंटन कर दिया जावे। उसे बेदखल ना किया जावे व आवंटन नियम 1975 के उपनियम 21-ए में डीएलसी से पूर्ण राशि जमा करवाकर अतिक्रमी को आवंटन करने का प्रावधान है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट इन्द्राज द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 11.03.2022 यथावत रखा जावे।

मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें अतिक्रमित भूमि खाली कर दें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है। उपतहसीलदार राजियासर द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अपील निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचनो के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.03.2022 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-7-2024 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सुरतगढ़ (जिला-श्री गंगानगर)
सुरतगढ़

